महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. – जवासिया, उज्जैन – 456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of Education, Govt. of India)
Ved Vidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasia, Ujjain – 456006 (M.P.)

प.सं.17-3/2019(प्र./वि.)/मसारावेविप्र/ दिनांक : 29.08.2023

कार्यालय आदेश – 1289

विषय :- प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानित वेद पाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों के वेद अध्यापकों को मान्देय की बढ़ी हुई दर से भुगतान में विसंगति के सम्बन्ध में ।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश में वेदों की मौखिक परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से तथा वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लक्ष्य के साथ सन् 1987 में महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी । प्रतिष्ठान की स्थापना के उपरांत देशभर में वेद विद्या के अध्ययन-अध्यापन में कार्यरत गुरुओं एवं संस्थाओं को प्रतिष्ठान की वेदपाठशाला एवं गुरु-शिष्य परम्परा योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । जिसमें वेद अध्यापकों को मानदेय एवं वेदाध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती रही है । भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अध्यापकों के मानदेय एवं छात्रों की छात्रवृत्ति में बढोतरी की गई है ।

प्रतिष्ठान द्वारा वेदपाठशालाओं / इकाइयों को जारी किए जा रहे अनुदान पूर्व में गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों के मानदेय की दर एक समान थी परन्तु वेदपाठशालाओं में वेदाध्यापकों के पाठशाला में 5 वर्ष एवं 10 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर मानदेय की बढी हुई दर निर्धारित थी। यह संज्ञान में आया है, कि पूर्व में की गई मानदेय बढोतरी में वेदपाठशालाओं / इकाइयों में कुछ अध्यापक लाभान्वित हुए हैं तथा कुछ अध्यापकों को कई वर्षों से वेदपाठशाला / इकाई में वेदाध्ययन कराने के बावजूद उन्हें प्राप्त हो रहे मानदेय में विसंगति है । असमानता है ।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 3-7/2021- skt I दिनांक 23.03.2023 के द्वारा प्रतिष्ठान से अनुदानित वेद पाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों के अध्यापकों के मानदेय एवं छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है । जिसमें वेदपाठशालाओं के साथ-साथ गुरु-शिष्य परम्परा इकाई योजना में भी वेदाध्यापन के 5 वर्ष एवं 10 वर्ष पूर्व कर लेने पर मानदेय की दर में वृद्धि का प्रावधान है । प्रतिष्ठान द्वारा दिनांक 1/4/2023 से मानदेय एवं छात्रवृत्ति की बढ़ी हुई दर से वेदपाठशालाओं / इकाई अध्यापकों को अनुदान जारी किया गया है । वेदपाठशाला / इकाई में वेद अध्यापकों के लिए दिनांक 1/4/2023 से निर्धारित मानदेय दर इस प्रकार है :

क.सं.	योजना में स्वीकृत अध्यापकों की श्रेणी	वर्षवार क्रम से अध्यापन अवधि	वर्ष 1-4-2018 से लागू वर्तमान मानदेय दर	मंत्रालय द्वारा बढ़ोतरी के साथ लागू मानदेय दर (1-4-2023 से प्रभावी)
1	वेदपाठशाला योजनान्तर्गत वेद अध्यापक	0-5 वर्ष तक अध्यापन	रू. 22,000/-	रु. 27,500/-
		5 से 10 वर्ष तक अध्यापन	रू. 30,000/-	रु. 33,000/-
		10 वर्ष से अधिक	रू. 34,000/-	रु. 38,500/-
2	गुरु-शिष्य परम्परा योजनान्तर्गत वेद अध्यापक	0-5 वर्ष तक अध्यापन	रू. 20,000/-	रु. 25,000/-
		5 से 10 वर्ष तक अध्यापन	यथावत्	रु. 30,000/-
		10 वर्ष से अधिक	यथावत्	रु. 35,000/-

(1) प्रतिष्ठान से अनुदानित ऐसे वेदाध्यापक जो कई वर्षों से गुरु-शिष्य परम्परा इकाई में वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे थे और वर्तमान में पाठशाला योजना में समाहित हो गए हैं परन्तु पाठशाला योजना में 5 वर्ष अथवा 10 वर्ष सेवा पूर्ण नहीं होने के कारण वर्तमान में पाठशाला योजना का प्रारंभिक मानदेय प्राप्त कर रहे हैं । अर्थात उन्हें गुरु-शिष्य परम्परा योजना में की गई सेवा का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है ।

(2) इसी प्रकार कुछ ऐसे अध्यापक हैं, जो कई वर्षों से वेदपाठशाला / इकाई में सेवारत थे परन्तु किसी कारणवश इकाई बन्द हो गई / अध्यापक द्वारा पाठशाला / इकाई छोड़ दी गई तथा पुन: वेदपाठशाला अथवा इकाई में सेवा प्रारम्भ कर वर्तमान में प्रारंभिक मानदेय प्राप्त कर रहे हैं ।

29/8

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. – जवासिया, उज्जैन – 456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of Education, Govt. of India)
Ved Vidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasia, Ujjain – 456006 (M.P.)

इस प्रकार बिन्दु क्रमांक (1) एवं (2) श्रेणी में आने वाले वेदाध्यापक संलग्न प्रपत्र को पूर्णतः भरकर स्वयं प्रमाणित कर प्रतिष्ठान के ईमेल msrvvp.academic@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं जिससे उनकी मानदेय विसंगति दूर करने पर विचार किया जा सके।

अध्यापक से प्राप्त आवेदन की जांच उपरांत मानदेय में विसंगति को दूर कर अधोहस्ताक्षरित की स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से संशोधित मानदेय जारी करने की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा ।

ईमेल / स्पीड पोस्ट से आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम दिनांक : 11/9/2023

29.8.2023

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपि : (1) सहायक निदेशक , म.सा.रा.वे.वि.प्र, उज्जैन
(2) अनुभाग अधिकारी, म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन
(3) वेदपाठशाला / गुरू-शिष्य परम्परा इकाई डीलिंग असिस्टेंट ।
(4) समस्त वेदपाठशाला / इकाई अध्यापकों को सूचनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ ।
(4) कार्यालय आदेश पत्रावली।

Tele : 0734-2502266, 2502254, 2502255 Fax : 0734-2502266
E-mail :msrvvpujn@gmail.com Website : msrvvp.ac.in

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. – जवासिया, उज्जैन – 456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of Education, Govt. of India)
Ved Vidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasia, Ujjain – 456006 (M.P.)

वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई में सेवारत अध्यापक के मानदेय में बढोतरी / विसंगति / संशोधन हेतु आवेदन पत्र

1.	वेद अध्यापक का नाम	
2.	जन्म दिनांक	
3.	वेद / शाखा	
4.	शैक्षणिक योग्यता	
5.	अध्यापक का मोबाईल नं.	
6	अध्यापक का ईमेल आईडी	
7	वर्तमान में किस योजना में अध्यापनरत हैं ? (पाठशाला / इकाई का नाम एवं पता उल्लेख करें) (1) वेदपाठशाला (2) गुरु-शिष्य परम्परा इकाई योजना	
8.	वर्तमान में प्राप्त मानदेय राशि (दिनांक 1/4/2023 के पश्चात)	
9	विगत 10 वर्षों में (2013-14 से) प्रतिष्ठान से अनुदानित वेदपाठशाला / गुरु-शिष्य परम्परा योजना अन्तर्गत अध्यापन अनुभव	

(1) गुरु-शिष्य परम्परा योजनान्तर्गत विगत 10 वर्षों का मानदेय सहित अध्यापन अनुभव विवरण
(यदि किसी कारणवश अनुदान बाधित / इकाई बंद हुई हो, तो संबंधित वर्ष में उल्लेख करें)

क्र.सं.	वर्ष	इकाई का नाम एवं पता	अध्ययनरत छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्र संख्या	प्रतिष्ठान से प्राप्त मानदेय स्थिति (हां / नहीं)	अनुदान बाधित/ इकाई बन्द होने का कारण
1	2013-14					
2	2014-15					
3	2015-16					
4	2016-17					
5	2017-18					
6	2018-19					
7	2019-20					
8	2020-21					
9	2021-22					
10	2022-23					

कुल सप्तम वर्ष उत्तीर्ण छात्र संख्या :- ____________

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. – जवासिया, उज्जैन – 456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of Education, Govt. of India)
Ved Vidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasia, Ujjain – 456006 (M.P.)

(2) वेदपाठशाला योजनान्तर्गत विगत 10 वर्षों का मानदेय सहित अध्यापन अनुभव विवरण
(यदि किसी कारणवश अनुदान बाधित / पाठशाला छोड़ी हो, तो संबंधित वर्ष में उल्लेख करें)

क्र.सं.	वर्ष	वेदपाठशाला का नाम एवं पता	अध्ययनरत छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्र संख्या	प्रतिष्ठान से प्राप्त मानदेय स्थिति (हां / नहीं)	अनुदान बाधित/ पाठशाला छोड़ने का कारण
1	2013-14					
2	2014-15					
3	2015-16					
4	2016-17					
5	2017-18					
6	2018-19					
7	2019-20					
8	2020-21					
9	2021-22					
10	2022-23					

कुल सप्तम वर्ष उत्तीर्ण छात्र संख्या :- ____________

(1) मैं यह घोषणा करता हूं, कि उपर्युक्त जानकारी मेरे संपूर्ण ज्ञान के अनुसार सत्य एवं प्रमाणिक हैं । प्रतिष्ठान द्वारा जांच किए जाने पर किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा ।

(2) मैं यह भी आश्वस्त करता हूं, कि मेरे द्वारा दिए गए आवेदन पर प्रतिष्ठान द्वारा जांच किए जाने पर मानदेय में संशोधन / विसंगति दूर होने पर मुझे स्वीकृति दिनांक से ही संशोधित मानदेय प्रदान किया जाएगा । किसी भी प्रकार की एरियर राशि भुगतान नहीं की जाएगी ।

(3) मैं यह सूचित करता हूं कि मैं विगत 10 वर्षों में वर्ष 2013-14 से वर्तमान 2023-24 तक गुरु-शिष्य परम्परा इकाई से पाठशाला योजना में समाहित हुआ हूं (अथवा) पाठशाला योजना में ही अध्यापनरत रहा हूं । मैं पाठशाला योजना से गुरु-शिष्य परम्परा इकाई योजना में स्थानान्तरित नहीं हुआ हूं ।

वेद अध्यापक का नाम एवं हस्ताक्षर : ____________________

दिनांक : ____________________

स्थान : ____________________

Tele : 0734-2502266, 2502254, 2502255 Fax : 0734-2502266
E-mail :msrvvpujn@gmail.com Website : msrvvp.ac.in